हिंदी साहित्य प्रश्नपत्र द्वितीय

हिंदी भाषा एवं काव्यांग विवेचन

शास्त्री शिक्षा शास्त्री बी ए द्वितीय वर्ष

भाषा व लिपि में प्रकाशित किया गया राजभाषा नीति, नियम तथा अधिनियम संघ की राजभाषा नीति

———————————

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)} । परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3) ।

संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है । परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं । {संविधान का अनुच्छेद 120}

किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है ।

सांविधानिक प्रावधान

_____

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17

अध्याय 1–संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा – (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा – (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेजी में " शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले " पंद्रह वर्ष " शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष " शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा–

(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति–

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को–

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ड़) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं–

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा–

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध–

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा–

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक–

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और
(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम,

विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया–

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4– विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा–

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं–

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी–

(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,
राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश–

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा अधिनियम, 1963

~~~~~~~~~~~~~~~

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी,उपबन्ध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
~~~~~~~~~~~~~~~

(2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना–

(1) संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी ; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी :

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को
अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा–

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच ;

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच ;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच ;

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृद हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1)में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही–
(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं ;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए ;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या
कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1)या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1)के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4 .राजभाषा के सम्बन्ध में समिति –

(1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा ।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा :

परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे ।

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित–
(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके समबन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

जहां किसी राज्य के विधानमण्डल ने उस राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7 .उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग-

नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति –

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निस्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निस्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9 . कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना-

धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)नियम,1976

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

सा.का.नि. 1052 –राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

(ख) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(ग) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(क) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

(ग) 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के
उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

(ड़) 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

(च) 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(छ) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ज) 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(झ) 'हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से–

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

(4) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क'या'ख'में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का

कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग'में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

(ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि–

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर–

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग–

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि

वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

(1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया
जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना –

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(2) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

(1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी
विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीकाा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ
परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण
कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से
उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि–

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व-

(1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह–

(i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है;और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

आदिकाल की प्रवृत्तियाँ

अक्तूबर 22, 2009

आदिकाल की रचनाओं के आधार पर इस युग के साहित्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं :-

ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता : ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित काव्य लिखने का चलन हो गया था । जैसे - पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता आदि । यद्यपि इनमें प्रामाणिकता का अभाव है ।

लौकिक रस की रचनाएँ : लौकिक-रस से सजी-संवरी रचनाएँ लिखने की प्रवृत्ति रही ; जैसे - संदेश-रासक, विद्यापति पदावली, कीर्तिपताका आदि ।

रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य : बौद्ध ,जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति है, इनके साहित्य में रुक्षता है । हठयोग के प्रचार वाली रचनाएँ लिखने की प्रवृत्ति इनमें अधिक रही ।

उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य : बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्चकोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं ; जैसे - परमात्म प्रकाश, भविसयत्त-कहा, पउम चरिउ आदि ।

फुटकर साहित्य : अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरी और दो सखुन जैसी फुटकर (विविध) रचनाएँ भी इस काल में रची जा रही थी ।

युद्धों का यथार्थ चित्रण : वीरगाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है । कर्कश और ओजपूर्ण पदावली शस्त्रों की झंकार सुना देती है ।

आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्ध, विवाह आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा ।

पारस्परिक वैमनस्य का प्रमुख कारण स्त्रियाँ थी । उनके विवाह एवं प्रेम प्रसंगों की कल्पना तथा विलास-प्रदर्शन में श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन और उन्हें वीर रस के आलंबन-रूप में ग्रहण करना इस युग की विशेषता थी । स्पष्टत: वीर रस और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है ।

चरित नायकों की वीर-गाथाओं का अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन करने में ऐतिहासिकता नगण्य और कल्पना का आधिक्य दिखाई देता है ।

चीजों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन होने की वजह से वर्णनात्मकता का आधिक्य है ।

प्रबंध (महा काव्य और खंडकावय) एवं मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य लिखा गया । खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं । बीसलदेव रासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है ।

रासो ग्रंथों की प्रधानता रही ।

अधिकतर रचनाएँ संदिग्ध हैं ।

इस युग की भाषा में निम्न प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं :-

राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश (डिंगल) : वीरगाथात्मक रासक ग्रंथों में इस भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है ।

मैथिली मिश्रित अपभ्रंश : इस भाषा का स्वरूप विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है ।

खड़ीबोली मिश्रित देशभाषा : इसका सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकरियों में हुआ है ।

इस युग की कृतियों में प्राय: सभी अलंकारों का समावेश मिलता है । पर प्रमुख रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ,अतिश्योक्तिअलंकारों का प्रयोग हुआ ।

दोहा,तोटक,तोमर, गाथा, रोमा-छप्पय आदि छंदों का प्रयोग बहुतायत हुआ है ।

इस युग में तीन रसों का निर्वाह हुआ है : वीर रस (चारण काव्य), श्रृंगार रस (चारण काव्य तथा विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में) तथा शांत रस (धार्मिक साहित्य में) ।

भक्ति काल की पृष्ठभूमि प्रमुख प्रवृतियां धारा एवं विशेषताएं

हिन्दी साहित्य में भक्तिकाल 1375 वि0 से 1700 वि0 तक जाना जाता है। हिन्दी साहित्य का मध्यकाल भक्तिकाल के नाम से प्रसिद्ध है। यह समय भक्तिकाल के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का श्रेष्ठ युग है।रामानंद और उनके शिष्यों ने दक्षिण की भक्तिगंगा को उत्तर में प्रवाहित किया। पूरे उत्तर-

भारत में भक्तिधारा बहने लगी। उस समय पूरे भारत में योग्य संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ।

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग को स्थापित किया और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना को प्रचारित किया। वल्लभाचार्य के द्वारा जिस लीला-गान का प्रसार हुआ उसने पूरे देश को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने वल्लभाचार्य के उपदेशों को मधुर कविता में बना जन-जन में पहुँचाया। वल्लभाचार्य के बाद माध्व और निंबार्क संप्रदायों का भी जन-मानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। साधना-क्षेत्र के दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग-मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला जिसमें संत कबीरदास प्रमुख है। मुस्लिम कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत अलग नहीं है। कुछ भावुक मुस्लिम कवियों ने सूफीवाद में डूबी हुई अति उत्तम रचनाएं लिखी।

प्रसिद्ध कवि

भक्तिकाल की अवधि में कबीर, रैदास, नानक, दादूदयाल, सुंदर दास, मलूकदास, कुतबन, मंझन, जायसी, उसमान, सूरदास, परमानंददास, कुंभनदास, नंददास, हितहरिवंश, हरिदास, रसखान, ध्रुवदास, मीराबाई, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास आदि ने अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की। इन कवियों के आराध्यों के नाम-रूप में प्रकटत: भले ही अंतर प्रतीत हो, समर्पण की भावना सभी में विद्यमान है।

भक्ति काल

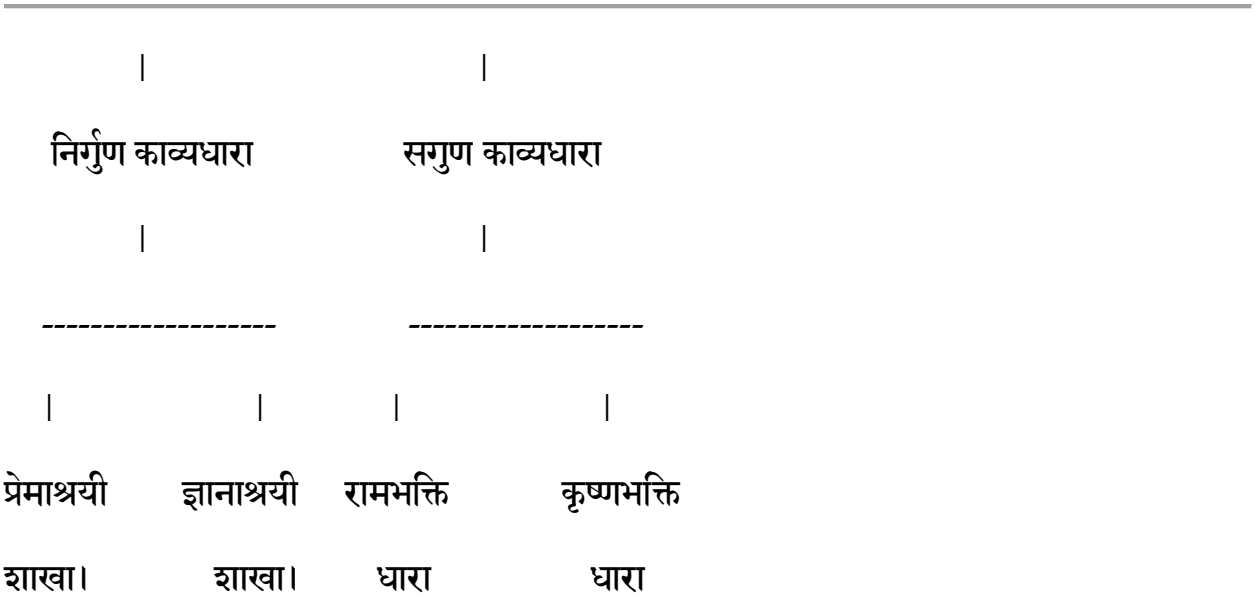

|　　　　　　|

निर्गुण काव्यधारा　　　　सगुण काव्यधारा

|　　　　　　|

-------------------　　　-------------------

|　　　　|　　　|　　　　|

प्रेमाश्रयी　　ज्ञानाश्रयी　रामभक्ति　　　कृष्णभक्ति

शाखा।　　　शाखा।　　धारा　　　　धारा

प्रेमाश्रयी शाखा

प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य-धारा को 'प्रेममार्गी' माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है, और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है, यही उनकी रचनाओं का मूल तत्त्व है। उन्होंने प्रेमगाथाएँ लिखी हैं। ये प्रेमगाथाएँ फ़ारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है, और इनमें दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है।

इस शाखा के भक्त कवियों की भक्ति-भावना पर विदेशी प्रभाव अधिक है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहती कि इस शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवि मुसलमान थे। इसलिए उन्होंने अपने संस्कारों के अनुसार भक्ति का निरूपण किया। वे भारतीय थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रेमाख्यानों के लिए भारतीय विषय चुने, भारतीय विचारधारा को भी अपनाया, परंतु उस पर विदेशी रंग भी चढ़ा दिया। रसखान भी मुसलमान थे। अतएव उन पर इस्लाम का प्रभाव बहुत था। साथ ही सूफ़ी प्रेम-पद्धति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से मिलता है। वे किसी मतवाद में बंधे नहीं। उनका प्रेम स्वच्छंद था, जो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे आधार बनाया। अतएव उनकी कविता में भारतीय भक्ति-पद्धति और सूफ़ी इश्क-हकीकी का सम्मिश्रण मिलता ।

ज्ञानाश्रयी शाखा

ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त-कवि 'निर्गुणवादी' थे, और नाम की उपासना करते थे। गुरु का वे बहुत सम्मान करते थे, और जाति-पाति के भेदों को नहीं मानते थे। वैयक्तिक साधना को वह प्रमुखता देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढियों का विरोध करते थे। लगभग सभी संत अनपढ़ थे, लेकिन अनुभव की दृष्टि से बहुत ही समृध्द थे। प्रायः सभी सत्संगी थे और उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का घालमेल था, इसीलिए इस भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य संत कवि नानक, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास हैं।

ज्ञानाश्रयी शाखा को 'निर्गुण काव्यधारा' या 'निर्गुण सम्प्रदाय' नाम भी दिया गया है। इस शाखा की विशेषता यह थी कि इसने अधिकतर प्रेरणा भारतीय स्त्रोतों से ग्रहण की। इसमें ज्ञानमार्ग की प्रधानता

थी। इसलिए पं. रामचंद्र शुक्ल ने इसे 'ज्ञानाश्रयी शाखा' कहा है।[1] इस शाखा के कवियों ने भक्ति-साधना के रूप में योग-साधना पर बहुत बल दिया है। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हुए हैं।

रामाश्रयी शाखा

कृष्णभक्ति शाखा के अंतर्गत लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण का गान रहा, तो रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा-पुरुषोत्तम राम का ध्यान किया। इसलिए कवि तुलसीदास ने रामचंद्र को आराध्य माना और 'रामचरितमानस' से राम-कथा को घर-घर में पहुँचा दिया। तुलसीदास हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। समन्वयवादी तुलसीदास में लोकनायक के सभी गुण मौजूद थे। तुलसीदास की पावन और मधुर वाणी ने जनता के तमाम स्तरों को राममय कर दिया। उस समय की प्रचलित भाषाओं और छंदों में तुलसीदास ने रामकथा लिख दी। जन-मानस के उत्थान में तुलसीदास ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इस शाखा में दूसरा कोई विशेष उल्लेखनीय कवि नहीं हुआ है।

राम की उपासना को निर्गुण संतों ने भी आदर दिया और सगुण भक्तों ने भी। अंतर यह था कि निर्गुण संप्रदाय में निर्गुण निराकार राम की उपासना का प्रचार हुआ और सगुण-रामभक्तों ने उनकी अवतार-लीला को गौरव दिया। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। रामभक्ति शाखा में मर्यादावाद का पालन किया गया। दास्य भक्ति को प्रधानता दी गई।

इस शाखा में एक रसिक संप्रदाय चल पड़ा। उसमें राम और सीता की श्रृंगार-लीलाओं का राधा-कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं की भांति ही विस्तृत चित्रण किया गया। फिर भी इस शाखा में भगवान के सौंदर्य की अपेक्षा उनके शील और शक्ति का ही निरूपण अधिक किया गया है।

कृष्णाश्रयी शाखा

कृष्णाश्रयी शाखा का सबसे अधिक प्रचार और प्रसार हुआ है। कृष्णाश्रयी शाखा में भगवान कृष्ण के सौंदर्य-पक्ष की ही प्रधानता रही। कृष्ण का चरित्र विलक्षण है। उनका ध्यान कृष्ण के मधुर रूप और उनकी लीला माधुरी पर ही केंद्रित रहा। भगवान की महिमा का गान करते हुए कहीं-कहीं प्रसंगवश उनके लोक रक्षक रूप का भी उल्लेख कर दिया है, किन्तु मुख्य विषय गोपी-कृष्ण का प्रेम है। कृष्ण-भक्ति का केन्द्र वृन्दावन था। श्री कृष्ण की लीला-भूमि होने के कारण उनके भक्तों ने भी ब्रज को अपना निवास स्थान बनाया। रसखान के भी वृन्दावन में रहने का उल्लेख मिलता है। अनेक संप्रदायों में उच्च कोटि के कवि हुए हैं। इनमें वल्लभाचार्य के पुष्टि-संप्रदाय के सूरदास जैसे महान् कवि हुए हैं।

वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के शिरोमणि भक्त-कवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिन्दी साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा है। श्री कृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया है, इसलिए इनके काव्यों में श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य की ही प्रधानता रही है। लगभग सभी कवि गायक थे, इसलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में प्राप्त होता है। गीति-काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति ने पल्लवित की थी, उसका चरम-विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। मानव की साधारण प्रेम-लीलाओं को राधा-कृष्ण की अलौकिक प्रेमलीला द्वारा व्यंजित करके उन्होंने जन-मानस को रस में डूबो दिया। आनंद की एक लहर देश भर में दौड गई। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, मीराबाई, हितहरिवंश, हरिदास, रसखान, नरोत्तमदास आदि थे। रहीम भी इसी समय हुए।

रीतिकाल

रीति शब्द की व्याख्या

'रीति' शब्द संस्कृत के काव्यशास्त्रीय 'रीति' शब्द से भिन्न अर्थ रखने वाला है। संस्कृत साहित्य में रीति को 'काव्य की आत्मा' मानने वाला एक सिद्धान्त है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने ग्रन्थ 'काव्यालंकारसूत्र' में किया था- 'रीतिरात्मा काव्यस्य'। रीति काव्य की आत्मा है और काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी रीति है, यह मान्यता इस सिद्धान्त की है। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी रीतियाँ हैं। रीति का आधार गुण है। संस्कृत की रीति सम्बन्धी यह धारणा हिन्दी काव्यशास्त्र के कुछ ही ग्रन्थों में ग्रहण की गयी है। परन्तु रीति की काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना, रीति का अर्थ मान्य हुआ। इस प्रकार रीतिकाल का अर्थ हुआ- "ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्यशास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो।" इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विख्यात हुई और यह पद्धति जिस काल में सर्वप्रधान रही, वह काल 'रीतिकाल' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

रीतिकाल

रीतिकाल के बारे में थोड़ा जानकारी- रीतिकाल 'हिंदी साहित्य के इतिहास' का तीसरा काल है।रीतिकाल का समय १६४३ई. से १८४३ई. तक है। इसे उत्तरमध्य काल भी कहा जाता है।रीतिकाल नाम को लेकर

विद्वानों में काफी मतभेद रहा है।कोई इसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल,कलाकार, रीतिकाल आदि नाम दिया था। वास्तव में रीतिकाल नाम ही उपयुक्त रहा।रीतिकाल के कवियों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-

(१) रीतिबद्ध कवि

(२) रीतिमुक्त कवि

(३) रीतिसिद्ध कवि

रीतिकालीन

रीति का अर्थ

संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतर्गत "रीति" शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए ही रूढ़ है, जिसे काव्य की आत्मा के रूप में घोषित कर आचार्य वामन ने तत्संबंधी पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार गुण विशिष्ट रचना, अर्थात पदसंघटना-पद्धति विशेष का नाम रीति है। इधर व्याकरण के आधार पर गत्यर्थक रीड धातु से क्तिच् प्रत्यय करके इसकी जो व्युत्पत्ति कही जाती है, उससे यह मार्ग का वाचक ठहरता है। इस प्रकार उक्त दोनों शास्त्रों में इस अकेले ही शब्द के दो पृथक प्रयोग कहे जा सकते हैं। रीति शब्द मार्ग का ही पर्याय शब्द है। यह सहज ही स्वीकार किया जा सकता है कि संस्कृत-काव्यशास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है।

आइए रीतिकाल के प्रवृत्तियों व विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं....

रीतिकाल की विशेषताएं रीतिकाल की प्रवृत्तियां-

(१)रीति निरूपण

(२) श्रृंगारिकता

(३)राजप्रशस्ति

(४)नीति और भक्ति

(५) आलंकारिता

(६)नायिका भेद

(७)ब्रजभाषा की प्रधानता

(८)प्रकृति-चित्रण

(९)काव्यरूप

(१०) नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण

(११) चमत्कार प्रर्दशन एवं बहुज्ञता

रीतिकाल को तीन भागों में बांटा जाता है

1. रीतिबद्ध
2. रीतिसिद्ध

3. रीतिमुक्त

1. रीति बद्ध -: ऐसे कवि जिन्होंने काव्य शास्त्रों के नियमों के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना की वे आचार्य कवि कहलाए साथ ही जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बस जो शास्त्रीय नियमों में बंद कर अपनी रचनाओं में प्रयोग करते थे ।वे कभी रीतिबद्ध कहलाए। रीतिबद्ध कवियों में अधिकतर कवि दरबारी कवि थे , अतः इनकी कभी कविताओं अतः इनके कार्यों में रंगारिक रस प्रधान है इसलिए इनके ग्रंथों को श्रंगार ग्रंथ भी कहा जाता है। परंतु भूषण ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार काव्य की रचना ना कर कर वीर काव्य की रचना की जिनमें प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, केशव ,पद्माकर ,भूषण।
2. रीति सिद्धः- ऐसे कवि जिन्हें शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय नियमों की जानकारी थी परंतु अपने ग्रंथों में उन्होंने कहीं इन नियमों के अनुसार रचना की थी और कहीं नहीं कहीं करी थी ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए ।जिनमें प्रमुख कवि बिहारी है।
3. रीतिमुक्त- ऐसे कभी जिन्हें ना तो शास्त्रीय नियमों की जानकारी थी और ना ही वह अपनी रचनाओं में उनका किसी तरह प्रयोग करते थे ।अपनी मुक्त रचनाएं करते थे ऐसी मुक्तक रचनाएं रीतिमुक्त कवियों की कही जाती थी इनमें प्रमुख कवि थे घनानंद ,आलम, बोधा और ठाकुर।

हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल

हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास

भारतेन्दु पूर्व हिन्दी गद्य

भारतेन्दु पूर्व हिन्दी गद्य प्रायः तीन रूपों में मिलता है –

ब्रजभाषा गद्य

राजस्थानी गद्य

खडी बोली गद्य

ब्रजभाषा गद्य

यह कथा, वार्ता, जीवनी, आत्मचरित, टीका तथा अनुवाद के रूप में मिलता है, गोरखनाथ की रचनाओं के बाद 'श्रृंगार रस मण्डन' (विट्ठलनाथ), अष्टयाम (नाभादास), चौरासी वैष्णव तथा दो सौ वैष्णव की वार्ता में ब्रजभाषा गद्य पुष्ट रूप में दिखाई पडता है, 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई 'राजनीति' (लल्लूलाल) तथा 'माधोविलास' उल्लेखनीय कृतियाँ हैं,

ब्रजभाषा गद्य की क्रमबद्ध परम्परा न होने के कारण उसकी भाषा सुसंगठित और मँजी हुई नहीं है, भाषा में यत्र-तत्र शिथिलता है, सीमित शब्दावली के कारण ब्रज भाषा गद्य नवीन युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को वहन करने में असमर्थ रहा, अतः ब्रजभाषा गद्य परम्परा का विकास न हो सका।

⇒ राजस्थानी गद्य

राजस्थानी गद्य का आरम्भ 12 वीं शताब्दी से माना गया है, ब्रजभाषा गद्य की अपेक्षा राजस्थानी गद्य परम्परा अधिक समृद्ध और विविध विषय सम्पन्न रही, इसमें दान-पत्रों, पट्टे-परवानों, जैन ग्रंथों, वार्ता तथा राजनीति, इतिहास, काव्यशास्त्र, गणित, ज्योतिष विविध विषयों में रचना हुई, टीका और अनुवाद ग्रंथ भी

लिखे, प्रारम्भिक राजस्थानी गद्य संस्कृत की समासयुक्त शैली और अपभ्रंश से प्रभावित है, बाद में वह खडी बोली के निकट आता गया,
राजस्थानी गद्य की भी अपनी सीमाएँ थीं, फलतः वह भी युगानुकूल उपयोगी सिद्ध न हो सका ।

हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न

खडी बोली गद्य

खडी बोली गद्य के विकास में प्रेस और पत्रकारिता ईसाई मिशनरी, फोर्ट विलियम कालेज तथा नवजागरण काल में स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का विशेष योगदान है, 19 वीं शताब्दी तक खडी बोली गद्य पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता है, उसका रूप मिश्रित, खडी बोली गद्य का प्रारम्भिक रूप 'सुरासुर निर्णय' (सदासुखराय), 'भाषा योग वशिष्ठ' (रामप्रसाद निरंजनी), 'नासिकेतोपाख्यान (सदल मिश्र), 'प्रेम सागर' (लल्लू लाल), 'रानी केतकी की कहानी' (इंशा अल्ला खां), आदि रचनाओं में मिलता है, इस रचनाओं पर ब्रजभाषा के साथ ही फारसी का भी पर्याप्त प्रभाव है ।

अंग्रेजी राज्य में खडी बोली धीरे-धीरे शिक्षा, प्रशासन और अदालत की भाषा बनी, स्वंतत्रता आन्दोलन में खडी बोली की राष्ट्रीय मान्यता मिली, इस तरह भारतेन्दु के समर्थ से ही खडी बोली गद्य 'नए चाल में' ढलने लगा था ।

सन् 1857 की राज्यक्रान्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण

भारतीय इतिहास में सन् 1857 की राज्य क्रान्ति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, इसका केन्द्र बिन्दु यद्यपि उत्तर प्रदेश था, किन्तु इसकी व्यापक प्रतिक्रिया सम्पूर्ण उत्तर भारत अर्थात् हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हुई, देश में प्रथम राज्य क्रान्ति के पहले ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही थी, इसका केन्द्र बंगाल था,

प्रेस की स्थापना और पत्रकारिता के उद्भव से विचार-स्वातंत्र्य को प्रोत्साहन मिला था, अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित वर्ग नये-नये पाश्चात्य विचारों से परिचित हो रहा था, ब्रह्म समाज और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी, कुल मिलाकर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी, 1857 के सशस्त्र क्रान्ति विद्रोह ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया।

इसी समय हिन्दी जगत् में भारतेन्दु का पदार्पण हुआ, भारतेन्दु ने हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से हिन्दी जगत् में पुनर्जागरण का आन्दोलन तेज कर दिया, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा आदि सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव जन-जीवन पर पडा, जिससे नई सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना विकसित हुई, मातृभूमि के प्रति और स्वराज का अधिकार राष्ट्रीयता के तत्व बने, स्वदेशी भावना को बल मिला जिससे मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना बढ़ी, खडी बोली हिन्दी धीरे-धीरे उत्तर भारत के पुनर्जागरण की भाषा बनती जा रही थी।

ये भी पढ़ें : निराला जी का जीवन परिचय

भारतेन्दु ने 1873 ई. में लिखा – हिन्दी नए चाल में ढली, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अन्तर्गत सामाजिक कुरीतियों के प्रति सुधार की भावना विकसित हुई, इस तरह राष्ट्रीयता, देशप्रेम, सामाजिक सुधार भावना, स्वदेशी भावना स्वराज पाने की लालसा आदि भावनाएँ हिन्दी साहित्य में खडी बोली हिन्दी के माध्यम से प्रकट होने लगी थीं इस तरह निश्चित ही हिन्दी साहित्य का सर्वथा नया रूप नयी चेतना से सम्पृक्त था ।

भारतेन्दु और उनका मण्डल

भारतीय नवजागरण की चेतना को हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम समग्र रूप से प्रतिबिम्बित करने का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके मण्डल के (समकालीन) लेखकों को जाता है, साहित्य-समाज और देश को लेकर भारतेन्दुयुगीन लेखकों में जितनी गहरी चिन्ता, सक्रियता और संघर्ष दिखाई पडता है, उसके आधार पर रामविलास शर्मा ने उचित ही कहा है कि ''वास्तव में ऐसा सजीव और चेतन युग एक बार ही आया है ।''

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके मण्डल के प्रमुख लेखकों का संक्षिप्त परिचय और हिन्दी साहित्य में उनके योगदान का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप में है –

प्रेमचंद सम्पूर्ण कहानियाँ

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850 ई.-1885 ई.)

हिन्दी गद्य के प्रवर्तक भारतेन्दु ने कविता और गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर रचना की, उनकी कविताओं में भक्ति और रीति और निरूपण की परम्परा के अवशेष मिलते हैं, साथ ही युगानुकूल कविताएँ राष्ट्रीयता भाव की प्रेरणा भूमि है, सामाजिक कविताओं में सुधारवादी मनोवृत्ति, स्वदेशी भावना और विदेशी शासन के प्रति हास्यपूर्ण व्यंग्य व्यक्त हुआ है।

नाटक, निबन्ध और पत्रकारिता के उन्नयन में भारतेन्दु की विशेष रुचि रही, उन्होंने सत्रह नाटक प्रहसनों की रचना की जिनमें 'अंधेर नगरी', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' और 'भारत दुर्दशा' उल्लेखनीय हैं, भारतेन्दु ने नाटकों में अभिनय भी किया तथा अनेक नाट्य मंडलियों की स्थापना कर उन्हें संरक्षण भी दिया, पाश्चात्य ट्रेजडी शैली के दुःखान्त नाटकों की रचना हिन्दी में सर्वप्रथम भारतेन्दु ने ही की थी।

भारतेन्दु ने 'कविवचन सुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' तथा 'बालबोधिनी' पत्र-पत्रिकाएँ निकालकर हिन्दी पत्रकारिता को जनजीवन से जोड़ा, इन पत्र-पत्रिकाओं में भारतेन्दु ने विविध विषयों पर निबन्ध लिखकर निबन्ध विधा को भी समृद्ध किया, भारतेन्दु ने खड़ी बोली को हिन्दी गद्य की समर्थ भाषा बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया, रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में ''हिन्दी गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ, डा॰ बच्चन ने भारतेन्दुयुगीन गद्य को 'हँसमुख' गद्य की संज्ञा दी है।

बालकृष्ण भट्ट (1844 ई.-1915 ई.)

भारतेन्दु मण्डल में बालकृष्ण भट्ट का पत्रकार और निबन्धकार के रूप में विशिष्ट स्थान है, उन्हें रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी का 'एडीसन' कहा है, आत्मव्यंजक, व्यक्तित्व प्रधान कलात्मक शैली के निबन्धों का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट के निबन्धों से ही होता है, भट्ट को व्यावहारिक आलोचना का भी प्रवर्तक कहा जाता है, सतर्क, सजग एवं प्रगतिवादी दृष्टि भट्टजी की आलोचना शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं, भट्टजी ने नाटक और उपन्यासों की भी रचना की, 'नूतनब्रह्मचारी' और 'सौ अजान एक सुजान' उपन्यास तथा 'आचार बिडम्बन' उनका उल्लेखनीय नाटक है।

बालकृष्ण भट्ट की कीर्ति का आधार हिन्दी पत्रकारिता में उनका ऐतिहासिकता योगदान है, उन्होंने 'हिन्दी प्रदीप' का 33 वर्षों तक सम्पादन-प्रकाशन किया जो स्वयं में कीर्तिमान है, पत्रकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट अत्यन्त दृढ़, आत्मसम्मानी और कर्मठ व्यक्ति थे, आर्थिक समस्याओं से जूझते रहने के बावजूद उन्होंने 'हिन्दी प्रदीप' को अपने दम पर सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का संवाहक बनाए रखा।

प्रताप नारायण मिश्र (1856 ई.-1895 ई.)

प्रताप नारायण मिश्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को अपना गुरु और आदर्श मानते थे, इनकी प्रतिभा का उत्कर्ष निबन्ध रचना में दृष्टिगोचर होता है, गम्भीर-से-गम्भीर विषयों से लेकर अति सामान्य विषयों पर भी उन्होंने निबन्ध रचना की, वे हिन्दी गद्य के विशिष्ट शैलीकार हैं, उनके गद्य में सहजता, आत्मीयता और भावानुकूल भाषा शैली का वैशिष्ट्य है, प्रताप नारायण मिश्र के हास्य-व्यंग्य निबन्ध काफी लोकप्रिय हुए।

प्रताप नारायण मिश्र की नाटकों में भी विशेष रुचि थी, उन्होंने 'कलिकौतुक', 'कलि प्रभाव' तथा 'हठी हम्मीर' नाटकों की रचना की, वे पारसी थियेटर में बढ़ती अश्लीलता के विरोध में हिन्दी का रंगमंच स्थापित करना चाहते थे, नाटकों में स्त्री पात्रों का अभिनय करना भी उनका शौक था, प्रताप नारायण मिश्र राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ ही जातीय सम्मान के लिए भी प्रतिबद्ध थे, 'हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान' नारा उन्होंने ही दिया है।

यूजीसी नेट हिंदी नोट्स

भारतेन्दु मण्डल में प्रताप नारायण मिश्र के विशिष्ट महत्त्व को बालमुकुन्द गुप्त ने रेखांकित करते हुए लिखा है –

''उनकी बहुत बातें बाबू हरिश्चन्द्र की सी थी, कितनी ही बातों में यह उनके बराबर और कितनी ही में कम थे, पर एकाध में बढ़कर भी थे, जिस गुण में वे कितनी बार ही भारतेन्दु के बराबर हो जाते थे, वह उनकी काव्यत्व शक्ति और सुन्दर भाषा लिखने की शैली थी, हिन्दी गद्य और पद्य लिखने में हरिश्चन्द्र जैसे तेज, तीखे और बिना किसी लाग-लपेट के लेख लिखा करते थे।

उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' (1855 ई.-1922 ई.)

भारतेन्दु मण्डल के प्रतिष्ठित लेखक और भारतेन्दुयुगीन साहित्य निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान, मूलतः कवि प्रेमघन ने कवित्त सवैया छन्द में ब्रजभाषा में भक्ति-श्रृंगार जैसे परम्परा-गत विषयों पर काव्य रचना की, किन्तु खड़ी बोली का इनका काव्य सामयिक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से ओत-प्रोत है,

समस्यापूर्ति में प्रेमघन की विशेष रुचि थी, 'जीर्णजनपद' नाम से प्रबन्धात्मक काव्य की भी रचना की, साथ ही कजली, होली, लावणी शैली में लोक गीतात्मक कविताएँ भी लिखीं।

प्रेमघन विलक्षण शैली के गद्यकार थे, रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ''वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे,'' यद्यपि उनके निबन्ध, निबन्ध कम सामयिक टिप्पणियाँ अधिक प्रतीत होती हैं जो उन्हीं के द्वारा प्रकाशित 'आनन्द कादम्बनी' पत्र में प्रकाशित होती थी, नाटक और आलोचना साहित्य में भी प्रेमघन का महत्त्वपूर्ण योगदान है, 'भारत सौभाग्य' उनका प्रसिद्ध नाटक है, उनकी आलोचनाएँ व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल और कृति के गुण-दोष तक सीमित हैं।

पत्रकार के रूप में प्रेमघन ने 'आनन्द कादम्बिनी' पत्र सन् 1881 ई. में मिर्जापुर से निकाला था, 'नागरी नीरद' नाम से साप्ताहिक पत्र भी निकाला।

अम्बिकादत्त व्यास (1848 ई.-1900 ई.)

भारतेन्दु मण्डल के सुप्रतिष्ठित कवि लेखक अम्बिकादत्त्ता व्यास ब्रज भाषा के सफल कवि थे, 'बिहारी सतसई' के आधार पर लिखी 'बिहारी बिहार' इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है, अतुकान्त कविता लिखने का भी आपने प्रयास किया, किन्तु सफल न हो सके, भारतेन्दु से प्रभावित होकर अम्बिकादत्त ने 'ललिता'

नाटक की रचना की, दूसरा नाटक 'गोसंकट' है, दोनों नाटक आधुनिक नाट्य शैली से कोसों दूर है, इनकी गद्य शैली पर पण्डिताऊपन अधिक है, भाषा शैली भी दोषपूर्ण है ।

अम्बिकादत्त ने सन् 1884 ई में 'वैष्णव पत्रिका' नाम से एक पत्र निकाला जो बाद में 'पीयूष प्रवाह' नाम से चला ।

19 वीं शती के उत्तरार्द्ध की हिन्दी पत्रकारिता

19 वीं शती के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध की हिन्दी पत्र पत्रिकाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

हिंदी साहित्य ट्रिक्स

उदन्त मार्तण्ड – 30 मई, 1826 ई. को कलकत्ता से प्रकाशित, 14 दिसम्बर, 1827 ई. को बन्द हो गया, हिन्दी पत्रकारिता का सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्र सम्पादक युगल किशोर शुक्ल।

बंगदूत – 10 मई, 1829 ई. को कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र सम्पादक राजा राममोहन राय और नीलरतन हालदार।

बनारस अखबार – जनवरी 1845 ई. में बनारस से प्रकाशित, संचालक राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, सम्पादक गोविन्द नारायण थत्ते, हिन्दी भाषी प्रदेश का प्रथम समाचार-पत्र।

सुधाकर – 1850 ई. में हिन्दी-बंगला में बनारस से प्रकाशित, 1853 ई. से यह साप्ताहिक पत्र केवल हिन्दी में प्रकाशित होने लगा।

बुद्धि प्रकाश – 1852 ई. में आगरा से प्रकाशित/सम्पादक मुंशी सदासुख लाल।

समाचार सुधावर्षण – जून 1854 ई. में कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी का सर्वप्रथम दैनिक-पत्र।

प्रजाहितैषी – 1855 ई. में आगरा से प्रकाशित

पयामे आजादी – 8 फरवरी, 1857 में दिल्ली से पहले उर्दू में फिर हिन्दी में निकला, सम्पादक अजीमुल्ला खाँ।

कविवचन सुधा – 15 अगस्त, 1867 ई. में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा काशी से प्रकाशित, पहले मासिक फिर 1875 ई. में साप्ताहिक हो गया।

हरिश्चन्द्र मैगजीन – 15 अक्टूबर, 1873 ई. को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा काशी से प्रकाशित

बालबोधिनी पत्रिका – 7 जनवरी, 1874 को नारी शिक्षा के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा काशी से प्रकाशित।

हिन्दी प्रदीप – 1 सितम्बर, 1877 को प्रयाग (इलाहाबाद) से बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित, 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा जो एक कीर्तिमान है।

भारतमित्र – 17 मई, 1878 को कलकत्ता से प्रकाशित 57 वर्षों तक चला।

सार-सुधानिधि – 13 अप्रैल, 1879 को कलकत्ता प्रकाशित से साप्ताहिक पत्र।

उचित वक्ता – 7 अगस्त, 1880 को कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित।

आनन्द कादम्बिनी – 1881 में बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' द्वारा मिर्जापुर से प्रकाशित।

ब्राह्मण – 1883 में कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित।

पीयूष प्रवाह – 1883 में अम्बिका दत्त व्यास ने काशी से निकाला।

भारत जीवन – 3 मार्च, 1884 को बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से प्रकाशित किया।

हिन्दोस्थान – 1885 में राजा रामपाल सिंह द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी बंगवासी – 1890 से कलकत्ता से प्रकाशित सम्पादक अमृत लाल चक्रवर्ती।

साहित्य सुधानिधि – 1 जनवरी, 1893 में देवकीनन्दन खत्री द्वारा मुजफ्फरपुर से निकला।

नागरीनीरद – 1893 में बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन ने निकाला।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका – 1896 से नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका,

सरस्वती – 1900 में इलाहाबाद से प्रकाशित, 1903 में इसके सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए।

महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग

हिन्दी साहित्य के सर्वांगीण विकास के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी नवजागरण का जो बीजारोपण किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' के माध्यम से उसे विशाल वटवृक्ष के रूप में साकार किया, आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य के कलात्मक विकास की चिन्ता न करके उसके अभावों की चिन्ता की, 'सरस्वती' के माध्यम से उन्होंने नवीन साहित्यिक आदर्शों की प्रतिष्ठा की, हिन्दी साहित्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास हुआ, गद्य-पद्य में खडी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, इसी विशिष्ट अवदान के लिए उन्हें 'युग विधायक' और 'युग प्रवर्तक' कहा जाता है।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के दो दशकों का काल 'द्विवेदी युग' के नाम से जाना जाता है, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है –

हिन्दी कविता – द्विवेदी युग में हिन्दी कवियों में ब्रजभाषा और श्रृंगारपरक काव्य रचना, समस्या पूर्ति आदि में रुचि बनी हुई थी, सर्वप्रथम द्विवेदीजी ने ब्रजभाषा के स्थान पर खडी बोली में काव्य रचना के लिए अपने युग के कवियों को प्रेरित किया, दूसरे, उन्होंने 'कवि कर्त्तव्य लेख' द्वारा नए-नए काव्य विषयों

पर कविता लिखने का मार्ग प्रशस्त किया, उनका कहना था कि ''चींटी से लेकर हाथीपर्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजापर्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्रपर्यन्त जल, अनन्त पृथ्वी-सभी पर कविता हो सकती है।''

तीसरी बात, द्विवेदी युग में कविता मनोरंजन के साथ ही 'उचित उपदेश का मर्म' भी बनी, द्विवेदीयुगीन कवियों ने कविता के इस उच्च आदर्श को आत्मसात् किया, चौथी बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक व पौराणिक चरित्रों को लेकर सर्वथा नई दृष्टि से प्रबन्ध काव्य रचना के लिए प्रेरित किया, फलतः 'साकेत', 'प्रिय प्रवास' जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, पाँचवीं बात, द्विवेदीजी की प्रेरणा से हरिऔध ने संस्कृत वृत्तों के आधार पर अतुकान्त छन्द में 'प्रिय प्रवास' की रचना की, द्विवेदी का मानना था कि ''छन्द रचना मुख्य नहीं है, मुख्य है कविता और कविता सरस होनी चाहिए।''

हिन्दी पत्रकारिता – सम्पादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 वर्ष तक 'सरस्वती' का सम्पादन कर हिन्दी साहित्य को सर्वथा नवीन दृष्टि, नयी भाव भंगिमा से सम्पृक्त किया। द्विवेदीजी के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से कवियों और लेखकों की नई पीढ़ी सामने आयी, 'सरस्वती' में वे सम्पादक कम, कवि शिक्षक अधिक थे।

हिन्दी भाषा – भाषा के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दो महत्त्वपूर्ण कार्य किए पहला, गद्य-पद्य में खड़ी बोली की समान प्रतिष्ठा, दूसरा, हिन्दी भाषा को व्याकरणसम्मत बनाकर उसको एकरूप बनाना, भाषा

परिष्कार में द्विवेदीजी के योगदान की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है – 'व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदीजी ही थे……. यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े होते, तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊँट-पटांग भाषा चारों ओर दिखाई देती थी, उसकी परम्परा जल्दी न रुकती ।

द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का परिचय इस प्रकार है –

कवि रचनाएँ

महावीर प्रसाद द्विवेदी कान्यकुब्ज, अबला विलाप

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चैपदे, रसकलश

मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर

जगन्नाथदास रत्नाकर उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी

रामनरेश त्रिपाठी मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न

श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा

द्विवेदीयुगीन पत्र-पत्रिकाएँ

हितवाणी (1904) कलकत्ता, सम्पादक रुद्रदत्त शर्मा

अभ्युदय (1907) प्रयाग, साप्ताहिक, सम्पादक मदनमोहन मालवीय

कर्मयोगी (1909) प्रयाग, मासिक

केसरी (1908) बाल गंगाधर तिलक (महाराष्ट्र)

मर्यादा (1909) प्रयाग, सम्पादक कृष्णकान्त मालवीय

प्रताप (1913) कानपुर, साप्ताहिक, गणेश शंकर विद्यार्थी

प्रभा (1913) खण्डवा, मासिक, कालूराम सम्पादक

Hindi sahitya ka itihas adhunik kal

साहित्य- संस्कृति की प्रमुख पत्रिकाएँ –

सरस्वती (1900) काशी, सम्पादक देवकी नन्दन खत्री

समालोचक (1902) जयपुर, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी

देवनागर (1907) कलकत्ता, सम्पादक उमापति शर्मा

इन्दु (1909) काशी, सम्पादक अम्बिका प्रसाद गुप्त (सभी मासिक पत्रिकाएँ हैं)

हिन्दी नवजागरण और 'सरस्वती'

'सरस्वती' मासिक पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन् 1900 में अर्थात् द्विवेदी युग में हुआ था, सन् 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके सम्पादक रहे, यह अपने युग की हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका थी, 'सरस्वती' का उद्देश्य हिन्दी भाषा क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण करना था, राष्ट्रीय जागरण उसका एक अंग था।

इसलिए उसमें साहित्य तथा हिन्दी भाषा परिष्कार के साथ ही देश की उन्नति और समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया, हिन्दी साहित्य को नवजागरण की चेतना से सम्पन्न करने का कार्य 'सरस्वती' ने निम्नलिखित रूप में किया –

1. साहित्यिक रुचि का परिष्कार – 'सरस्वती' के माध्यम से द्विवेदीजी ने सामंतवादी साहित्यिक मूल्यों का विरोध किया, तिलस्मी ऐय्यारी उपन्यासों, नायिका भेद वर्णन और समस्यापूर्ति को उन्होंने नैतिकता विरोधी साहित्य माना, 'कवि कर्त्तव्य' लेख में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि ''कविता का विषय मनोरंजन के साथ ही उपदेशजनक होना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि कविता के विषय अनन्त है, उन पर भी काव्य रचना होनी चाहिए।

द्विवेदीजी 'साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश' मानते थे, अतः 'सरस्वती' में उन्होंने विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व विषयों पर अधुनातन ज्ञानवर्धन सामग्री से पूर्ण लेखों को प्रकाशित कराया, इस तरह गद्य-पद्य के हिन्दी साहित्य को उन्होंने युगानुकूल आधुनिक भावबोध से सम्पन्न किया, इसके लिए उन्होंने काव्य रचना में ब्रजभाषा के प्रयोग का भी विरोध किया, क्योंकि ब्रजभाषा सामंतवादी-रीतिवादी काव्य मूल्यों की संवाहक होने के कारण आधुनिक चेतना को व्यक्त करने में असमर्थ थी, अतुकांत छन्दों में काव्य रचना का सूत्रपात 'सरस्वती' के माध्यम से ही हुआ जिसकी परिणति निराला की मुक्तछन्द कविता में हुई।

भाषा का परिष्कार – 'सरस्वती' में प्रकाशित होने वाली रचनाओं की कसौटी भाषा की शुद्धता मानी गई, द्विवेदीजी ने रचनाओं की भाषा में व्याकरण की अशुद्धियों को दूर करके उन्हें व्याकरणसम्मत बनाया, इस तरह भाषा की एकरूपता के लिए 'सरस्वती' की ऐतिहासिक भूमिका है।

'सरस्वती' ने खड़ी बोली को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने युग में 'सरस्वती' ही एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जिसमें ज्ञान-विज्ञान की सामग्री को खड़ी बोली में प्रकाशित किया जो हिन्दी भाषी प्रदेश में राष्ट्रीय जनजागरण के लिए युगीन आवश्यकता थी। इस तरह 'सरस्वती' के प्रयासों से खड़ी बोली हिन्दी ज्ञान-विज्ञान और चिन्तन की भाषा बनी।

मैथिलीशरण गुप्त और राष्ट्रीय काव्य धारा

यद्यपि देश भक्तिपूर्ण राष्ट्रीय काव्य की रचना भारतेन्दु युग में ही होने लगी थी (भारतेन्दु की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देश भक्ति का था – रामचन्द्र शुक्ल), किन्तु भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय कविता में वह गहन-गम्भीरता और ओजस्विता नहीं थी जो द्विवेदी युग में दिखाई पड़ती है, इसके दो प्रमुख कारण हैं – ब्रजभाषा में काव्य रचना दूसरे तत्कालीन युग की परिस्थितियाँ, भारतेन्दु युग के कवियों की राष्ट्र चिन्ता ''हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, आवहु सब मिलकर रोबहु भारत भाई,'' तक सीमित थी, इसके विपरीत मैथिलीशरण गुप्त और अन्य कवियों ने राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति कर भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के प्रति अदम्य लालसा ही नहीं जगाई, बल्कि उसको पाने के लिए जनता को संघर्षरत भी किया।

निश्चय ही इसमें द्विवेदी युग की सामयिक परिस्थितियों का भी विशेष योगदान था, 'स्वराज' की मांग और स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ हो चुका था, बालगंगाधर तिलक के उद्घोष 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' और गांधीजी के राष्ट्रीय क्षितिज पर आने के साथ ही सम्पूर्ण परिवेश राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हो गया था, 'करो या मरो', की उद्दाम भावना ने भारतीय जनता को त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित किया था,

इसी समय जलियाँवाला बाग कांड से अंग्रेजी शासकों के दमन और शोषण के प्रति विद्रोह और आक्रोश सारे देश में फैल गया।

सामयिक राष्ट्रीय घटनाओं की मुखर अभिव्यक्ति अपने समग्र प्रभाव और प्रेरणा स्त्रोत के रूप में द्विवेदी युग के काव्य में परिलक्षित होती है।

मैथिलीशरण गुप्त (1886-1964 ई.)

मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं, रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ''उनकी रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, देशप्रेम, विश्वप्रेम, किसानों व श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान की झलक पाते है।'' गुप्तजी की देशप्रेम और राष्ट्रीय चेतना को देखकर गांधीजी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' कहा था – ''वे राष्ट्र के कवि हैं, उसी प्रकार, जिस प्रकार राष्ट्र के बनाने से मैं महात्मा बन गया।''

राष्ट्र कवि के रूप में मैथिलीशरण 'भारत भारती (1912 ई.) से लोकप्रिय हुए, 'भारत भारती' के मंगलाचरण में कवि किसी देव-देवता की वन्दना न करके देशप्रेम और भाषा प्रेम की स्तुति करता है –

मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारें आरती।
भगवान भारतवर्ष में गूँजें हमारी भारती।।

उत्तर-भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार में 'भारत भारती' की ऐतिहासिक भूमिका रही है, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति विविध रूपों में हुई है, उनके लिए भारत एक भू-खण्ड मात्र नहीं है, बल्कि 'सगुण मूति सर्वेश' हैं, उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व है, इसलिए वे 'स्वदेश संगीत' रचना में अनेक तरह से मातृभूमि की महिमा का गान करते हैं,

'हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी'

जैसी पंक्ति कवि को आत्मचिन्तन और राष्ट्रचिन्तन के लिए प्रेरित करती है, पहले भी हम कह चुके हैं कि मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं, जन-जन में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए मैथिलीशरण ने भारतीय संस्कृति का गौरव गान किया है। 'गुरुकुल' और 'हिन्दू' दोनों इस दृष्टिकोण की रचनाएँ हैं,
कुछ लोग मैथिलीशरण गुप्त को 'हिन्दूवादी' कवि कहते हैं, किन्तु गांधी के आदर्शों और जीवन मूल्यों से प्रभावित मैथिलीशरण गुप्त हिन्दूवादी नहीं, बल्कि मानवतावादी हैं, 'काबा और कर्बला' में उन्होंने स्पष्ट कहा है, ''अपने देश में आन्तरिक सुख शान्ति के लिए हमको (हिन्दू -मुसलमान) हिलमिल कर रहना होगा।''

राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि
माखनलाल चतुर्वेदी (1889 ई.-1968 ई.)

'एक भारतीय आत्मा' के नाम से लोकप्रिय माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वे कई बार जेल भी गए, इसलिए उनकी कविता में त्याग-बलिदान और संघर्ष की आवेगमयी भावना दिखाई पङती है, राष्ट्रप्रेम, आत्मोत्सर्ग इनके काव्य की मूल भावना है, 'हिम किरीटनी' और 'हिम तरंगिणी' माखनलाल के राष्ट्रीय चेतना के उल्लेखनीय काव्य संग्रह हैं।

'कैदी और कोकिला' शीर्षक कविता में माखनलाल ने जेल-जीवन की अपनी अनुभूतियों और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विद्रोह के प्रति अपनी संघर्ष भावना को व्यक्त किया है –

क्या ? देख न सकतीं जंजीरों का गहना।
हथकङियाँ क्यों ? यह ब्रिटिश राज्य का गहना।।
कोल्हू की चर्रक चूँ ? जीवन की तान।
मिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने क्या गान ?
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआँ।
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकङ का कूआँ।।

सियाराम शरण गुप्त (1895 ई.'-1963 ई.)

मैथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई सियारामशरण गुप्त पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव है, इसलिए इनकी रचनाओं में अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्वशान्ति, बन्धुत्व आदि गांधीवादी मूल्यों की गहरी अभिव्यक्ति हुई

है, भाषा-शैली सरस और सरल है, 'आर्द्रा ', 'खादी की चादर', 'आत्मोत्सर्ग', 'उन्मुक्त', 'जयहिन्द', 'नोआखली' आदि सियारामशरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएँ है।

''वास्तव में गुप्तजी मानवीय संस्कृति के कवि हैं, उनमें न कल्पना का उद्वेग है न भावों का आवेग, उनकी रचनाएँ सर्वत्र एक प्रकार के चिन्तन, आस्था विश्वासों से भरी हैं जो उनकी अपनी साधना और गांधीजी के साध्य-साधन की पवित्रता की गूँज से मण्डित हैं।''

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' (1897 ई.-1960 ई.)

'नवीन' उपनाम से लोकप्रिय बालकृष्ण शर्मा देश की राजनीति में सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे हैं, हिन्दी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, वे राष्ट्रीय वीर काव्य के मुख्य कवि हैं, देश के नवयुवकों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मर-मिटने का आह्वान 'नवीनजी' इस प्रकार करते हैं –

है बलिवेदी, सखे प्रज्वलित माँग रही ईंधन क्षण-क्षण,
आओ युवको, लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन।

नवीन की कविताओं में क्रान्ति के स्वर भी हैं – ''कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए।'' 'कुंकुम', 'उर्मिला', 'अपलक', 'रश्मिरेखा' इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ है।

सुभद्राकुमारी चैहान (1905 ई.-1948 ई.)

'खूब लडी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी' – कविता की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चैहान राष्ट्रीय काव्यधारा में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लेने वाले वीरों पर प्रभावशाली काव्य रचना की है, इनकी कविताएँ 'त्रिधारा' और 'मुकुल' काव्य संग्रह में संकलित हैं, 'झाँसी की रानी' कविता को अंग्रेजी ने जब्त कर लिया था।

रामनरेश त्रिपाठी (1881 ई.-1962 ई.)

रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छन्तावादी भावधारा के कवि हैं, किन्तु देशप्रेम तथा राष्ट्रीयता इनकी रचना का मुख्य विषय रहे हैं, वे राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में लोकप्रिय रहे हैं, 'मिलन', 'पथिक', 'मानसी' और 'स्वप्न' इनके कविता संग्रह हैं, इनमें देशभक्ति की भावनाओं का समावेश सरसता से हुआ है।

स्वच्छन्दतावाद और उसके प्रमुख कवि

अंग्रेजी के रोमाण्टिसिज्म का हिन्दी अनुवाद स्वच्छन्दतावाद सामान्यतः साहित्य की विशिष्ट प्रवृत्ति का द्योतक शब्द है, इस प्रवृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है –

''साहित्यिक उदारवाद ही स्वच्छन्दतावाद है अर्थात् शिष्ट और क्लैसिक साहित्य परिपाटी के विरोध में खडी होने वाली विचारधारा को स्वच्छन्दतावाद कहा जा सकता है।''

'रोमाण्टिसिज्म' शब्द का पहले-पहल प्रयोग 19 वीं शताब्दी के अंग्रेजी काव्य के लिए किया गया जिसमें वर्डस्-वर्थ, शेली, कीट्स बायरन आदि की काव्य रचनाएँ आती हैं, स्वच्छन्दतावाद की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. स्वच्छन्द भाव का प्रकृति प्रेम
2. देशप्रेम
3. उदार मानवतावादी दृष्टिकोण
4. एकान्त प्रणय भावना
5. मुक्त और स्वच्छन्द काव्य अभिव्यक्ति शैली

हिन्दी साहित्य में छायावाद के पूर्व की कविता को स्वच्छन्दतावादी काव्य कहा गया है जिसका प्रवर्तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को माना है, यद्यपि डाॅ. बच्चन सिंह ने 'हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास' में सम्पूर्ण छायावादी काव्य को ही स्वच्छन्दतावादी काव्य कहा है, छायावाद के स्थान पर स्वच्छन्दतावाद नाम के प्रयोग में उनका मुख्य तर्क है कि ''इससे इस काल के साहित्य का सम्बन्ध अन्य भारतीय साहित्य और भारतीयेत्तर साहित्य के स्वच्छन्दतावादी आन्दोलनों से जुङ जाता है।''

इसमें संदेह नहीं कि छायावादी कवि अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावादी आन्दोलनों से प्रभावित थे, छायावादी कवियों के विद्रोह का आधार वैयक्तिक स्वतंत्रता थी, अपनी विचार पद्धति और काव्यरूपविधान-दोनों के लिए ही छायावाद स्वच्छन्दतावाद का ऋणी है, तो भी छायावाद युग के पूर्व और उसके बाद भी चलने

वाली एक विशिष्ट काव्यधारा के लिए स्वच्छन्दतावाद का प्रयोग रूढ़ हो गया है – छायावादी काव्य के लिए नहीं।

हिन्दी कविता की स्वच्छन्दतावादी धारा के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं –

1. श्रीधर पाठक – इन्हें आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने स्वच्छन्दतावादी हिन्दी कविता का प्रवर्तक माना है, उनकी कविताओं में स्वच्छन्दतावाद के दर्शन पहली बार हुए, खड़ी बोली में रचित श्रीधर पाठक की कविताएँ आधुनिक हिंदी कविता का शुभारम्भ करती हैं, 'कश्मीर सुषमा' (1904 ई.) में श्रीधर पाठक ने पहली बार प्रकृति के परम्परागत उद्दीपन वर्णन शैली से विद्रोह कर प्राकृतिक सौन्दर्य का उन्मुक्त और स्वच्छन्द वर्णन किया है, उनका प्रकृति वर्णन अपनी समग्रता में अनूठा है-

प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि निज रूप सँवारति।
पल-पल पलटति वेष छनिक छवि छिन-छिन धारति।।

श्रीधर पाठक की प्रकृति वर्णन पद्धति छायावाद में पूर्ण विकसित होती है।

2. मुकुटधर पाण्डे – लोचन प्रसाद पाण्डे ('छायावाद' शब्द के प्रथम प्रयोक्ता) के अनुज मुकुटधर पाण्डे मानवीय मूल्यों के कवि हैं, इस सन्दर्भ में उनकी कविताएँ द्विवेदीयुगीन उपदेशात्मकता के बजाय आन्तरिक संवेदना से पूर्ण हैं, उनकी कविता इतिवृत्त वर्णन प्रधान न होकर भावप्रवण है, जो स्वच्छन्दतावाद की प्रमुख विशेषता है, इनके काव्य में छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का पूर्वाभास मिलता है,

'पूजा फूल' मुकुटधर पाण्डे का प्रथम काव्य संग्रह है, 'कानन-कुसुम' और 'शैलबाला' उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें 'नयी काव्य धारा' (छायावाद) का प्रवर्तक माना है।

3. रामनरेश त्रिपाठी – आप स्वच्छन्द भावधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं, देशप्रेम, राष्ट्रीय चेतना तथा प्रकृति चित्रण रामनरेश त्रिपाठी की काव्य रचना के मुख्य विषय रहे हैं, गहन प्रणय भावना इनके प्रेम वर्णन की मुख्य विशेषता है, प्रकृति चित्रण सहज और मनोरम है –

''प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग-बिरंग निराला।
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला।।''

'मिलन', 'पथिक' और 'स्वप्न प्रेम' कथात्मक खण्ड काव्य है, मानसी उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह हैं,

4. रूपनारायण पाण्डे – स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्ति के कवि हैं, इनकी रचनाएँ भी छायावाद का पूर्वाभास कराती हैं, इन्होंने द्विवेदीयुगीन इतिवृत्तात्मक काव्य शैली का विरोध कर खडी बोली हिन्दी में आन्तरिक अनुभूतियों की काव्याभिव्यक्ति की है, 'वन वैभव' कवि के प्रगति मुक्तकों का संग्रह है, 'वन विहंगम', 'दलित कुसुम', 'आश्वासन' इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, रूपनारायण पाण्डे इस नवीन काव्य धारा में मानवीय संवेदना और उदात्त मानवीय मूल्यों के कवि के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं।

छायावाद

आधुनिक काल की सन् 1918 ई. से 1938 ई. तक हिन्दी कविता को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने नई काव्यधारा का तृतीय उत्थान कहा है जिसे सामान्यतः 'छायावाद' के नाम से जाना जाता है, छायावाद के उदय के सम्बन्ध में रामचन्द्र शुक्ल का कथन है ''पुराने ईसाई सन्तों के छायाभास तथा यूरोप के काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित अध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएँ छायावाद कही जाने लगी थी, अतः हिन्दी में भी ऐसी कविताओं का नाम छायावाद चल पडा।''

सन् 1920 में मुकुटधर पाण्डे के निबन्ध 'हिन्दी में छायावाद' से पता चलता है कि द्विवेदीयुगीन कविताओं से भिन्न कविताओं के लिए छायावाद नाम प्रचलित हो चुका था।

परिभाषा –

डा॰ नगेन्द्र ने छायावाद को 'स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह' माना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे 'अभिव्यंजना का नूतन विधान' कहा है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार, ''जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब उसे हिन्दी में 'छायावाद' के नाम से अभिहित किया गया।'' नन्ददुलारे वाजपेई ने लिखा ''छायावाद मानव जीवन सौन्दर्य और प्रकृति को आत्मा का अभिन्न स्वरूप मानता है।''

वस्तुतः इन परिभाषाओं से छायावाद के स्वरूप पर समग्र प्रकाश नहीं पडता, न तो वह मात्र अभिव्यंजना का नूतन विधान है और न ही केवल स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, दोनों का समन्वय ही छायावाद के

मूलचरित्र को रेखांकित करता है अर्थात् 'नवीन आभ्यन्तर अनुभूति को व्यक्त करने के लिए नवीन अभिव्यंजना शैली आवश्यक थी और इस शैली के काव्य का नाम छायावाद पड़ा।'

छायावाद के प्रवर्तक कौन ?

रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी कविता की नई धारा (छायावाद) का प्रवर्तक मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पाण्डे को माना है, किन्तु इसे भ्रामक तथ्य मानकर खारिज कर दिया गया, इलाचन्द्र जोशी और विश्वनाथ मिश्र जयशंकर प्रसाद को निर्विवाद रूप से छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, सन् 1913-1914 के आसपास 'इन्दु' में प्रसाद की जिस ढंग की कविताएँ छपती थीं, (जो 'कानन कुसुम' में संकलित हुईं) वे निश्चय रूप से तत्कालीन हिन्दी काव्य क्षेत्र में युग-परिवर्तन की सूचक हैं।

विनयमोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को तो नन्ददुलारे वाजपेयी, सुमित्रानन्दन पंत को छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय देते हैं, किन्तु अब जयशंकर प्रसाद को ही सर्वमान्य रूप से छायावाद का प्रवर्तक माना जाने लगा है।

छायावाद की पृष्ठभूमि

समकालीन परिस्थितियों और विचारधाराओं ने विविध रूप में हिन्दी कविता को प्रभावित किया है, पूँजीवाद का विकास और व्यक्तिवाद का जन्म, स्वच्छन्दवादी प्रवृत्तियों का उदय, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, राजनीति के क्षेत्र में गांधीजी का आन्दोलन और स्वांतत्र्य प्रेम का जागरण, पाश्चात्य सभ्यता का

नई पीढ़ी पर प्रभाव, अंग्रेजी के रोमाण्टिक कवियों का प्रभाव, कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रति श्रद्धाभाव, ब्रह्मसमाज का आन्दोलन और राजा राममोहन राय के क्रान्तिकारी विचार तथा कर्मकाण्डी वैष्णव धर्म के विरुद्ध स्वामी दयानन्द का आर्य समाजी आन्दोलन, आदि विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों ने मिल-जुलकर छायावाद को जन्म दिया।

छायावाद की साहित्यिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में महादेवी वर्मा का यह वक्तव्य महत्त्वपूर्ण है, ''उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली थी कि मनुष्य की सारी कोमल और सूक्ष्म भावनाएँ विद्रोह कर उठीं, स्थूल सौन्दर्य की निजी अभिव्यक्तियों से थके हुए और कविता की परम्परागत नियम शृंखला से ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बँधे स्थूल का न तो यथार्थ चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका रूढ़िगत आदर्श भाया, उन्हें नवीन रूपरेखाओं में सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति की आवश्यकता थी, जो छायावाद में पूर्ण हुई।''

काव्य प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ –

आत्मानुभूति की प्रधान अभिव्यक्ति
सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति की प्रधानता
स्थूलता और इतिवृत्तात्मकता के प्रति पूर्ण विद्रोह,
कल्पना का प्राचुर्य
सौन्दर्य के प्रति आकर्षण, सौन्दर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति
प्रेम विरह, और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति

प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और मानवीय चेतना का आरोप

लाक्षणिक प्रयोग, अन्योक्ति एवं बिम्ब प्रतीकों से युक्त विशिष्ट काव्य शैली

छन्दों के नए प्रयोग

चित्रात्मकता और ध्वन्यात्मकता काव्य भाषा का विशिष्ट गुण।

छायावाद के प्रमुख कवि

जयशंकर प्रसाद (1889 ई.-1937 ई.)

छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का प्रथम कविता संग्रह 'कानन कुसुम' है जिसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति का नया रूप मिलता है, 'झरना' में आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ अधिक मुखर हुई हैं, 'आँसू' प्रसाद की विशिष्ट रचना है जिसमें कवि के हृदय की घनीभूत पीङा आँसुओं के माध्यम से व्यक्त हुई है, गीतकला की दृष्टि से उत्कृष्ट 'लहर' प्रसाद की सर्वोत्तम कविताओं का संग्रह है ।

प्रसाद की अन्तिम प्रौढ़तम कृति 'कामायनी' है, इसमें आदि मानव मनु की कथा के द्वारा उदात्तवादी सामंजस्यपूर्ण आनन्दवाद की प्रतिष्ठा की गई है, प्रसाद के कवि जीवन का प्रारम्भ 'कलाधर' उपनाम से ब्रज भाषा काव्य रचना से हुआ था।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (1897 ई.-1961 ई.)

युगीन यथार्थ के प्रति निराला सर्वाधिक छायावादी कवि हैं, वे अपने समय के जितने विवादास्पद कवि रहे, उतने ही कालान्तर में निर्विवाद और सर्वमान्य भी रहे, अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण उन्हें सदैव विरोध और संघर्ष का सामना करना पडा, छन्दों की रीतिबद्धता तोडकर उन्होंने मुक्त छन्द में 'जूही की कली' कविता लिखी, उनकी प्रेम अभिव्यक्ति अन्य छायावादी कवियों की तरह हवाई नहीं है, निराला प्रेम, विद्रोह, संघर्ष और क्रान्ति के कवि हैं, 'तुलसीदास', 'राम की शक्ति पूजा', 'सरोज स्मृति', उनकी आत्मचरितात्मक काव्य रचनाएँ हैं, 'अनामिका', 'परिमल', 'गीतिका' निराला के अन्य कविता संग्रह है।

सुमित्रानंदन पंत (1900 ई.-1977 ई.)

छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्धि 'प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि' के रूप में है, पंत ने नारी, प्रकृति, सौन्दर्य और जीवन के प्रति मध्यमवर्गीय दृष्टिबोध का परिष्कार अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है, 'उच्छवास', 'ग्रन्थि', 'वीणा', 'पल्लव', 'गुंजन' उनकी छायावाद युग की रचनाएँ हैं, 'कला और बूढा चाँद', 'चिदम्बरा' और 'लोकायतन' छायावादोत्तर युग की रचनाएँ हैं, 'चिदम्बरा' पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

महादेवी वर्मा (1907-1987 ई.)

महादेवी वर्मा को 'आधुनिक युग की मीरा' कहा जाता है, उनके काव्य में वेदना और दुःख की विभिन्न छवियाँ अभिव्यक्त हुई हैं, दुःख महादेवी की काव्य सर्जना की मूल प्रेरणा है जो उनके शब्दों में सारे संसार

को एकसूत्र में बाँधे रखने की क्षमता रखता है, 'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सान्ध्यगीत', और 'दीपशिखा' – महादेवी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं, 'यामा' उनकी छायावादी युग की प्रमुख कविताएँ संकलित हैं।

उत्तर छायावादी काव्य और उसके प्रमुख कवि

उत्तर छायावादी हिन्दी कविता कई विचारधाराओं के प्रभाव और प्रतिक्रियास्वरूप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता आदि काव्यधाराओं में विकसित हुई हैं, इन विभिन्न काव्य धाराओं की विशिष्ट काव्य प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

प्रगतिशील काव्य

छायावाद के बाद सन् 1938 ई. से 1943 ई. तक का आधुनिक हिन्दी कविता 'प्रगतिवाद' या 'प्रगतिशील कविता' के नाम से जानी जाती है, छायावादी कविता और काव्यभाषा दोनों ही अतीन्द्रिय कल्पना, रोमानी प्रवृत्ति, निराशा और पलायन की प्रवृत्ति, सूक्ष्म और कोहरे-सी अस्पष्ट भाषा तत्कालीन जन-जीवन की अभिव्यक्ति में पूरी तरह से असमर्थ हो चुकी थी, पंत और निराशा ने भी छायावादी कविता की इस असमर्थता को पहचानकर प्रगतिशील चेतना की आत्मसात् कर लिया था, पंत ने कहा था ''इस युग की कविता सपनों में नहीं पच सकती।''

पृष्ठभूमि

प्रगतिवाद का मूल आधार साम्यवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यावाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, अर्थात् प्रगतिवादी हिन्दी कविता को साम्यवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है, पूँजीवाद का विरोध, शोषण के प्रति विद्रोह, शोषित से सहानुभूति, संघर्ष और क्रान्ति का आह्वान, ईश्वर-धर्म पर अनास्था आदि साम्यवाद की मुख्य विशेषताएँ हैं जो हिन्दी कविता में भी प्रमुख रूप से व्यक्त हुई हैं।

कार्ल मार्क्स के साम्यवादी दर्शन का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा था, देश के अनेक बुद्धिजीवी इसके प्रति आकर्षित हुए, सन् 1936 में देश में पहली बार 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई, लखनऊ में संघ के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचन्द ने कहा था –

''हमारी कसौटी पर केवल यही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता के भाव हों, सौन्दर्य का सार हो, जो हममें गति, बेचैनी और संघर्ष पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है।'' प्रेमचन्द का यह भाषण प्रगतिवाद का नीतिशास्त्र बन गया।

प्रगतिवादी हिन्दी कविता का उद्भव छायावादी कवियों सुमित्रानंदन पंत और निराला से हो चुका था, पंत की 'ज्योत्सना', 'युगवाणी' तथा निराला की 'वह तोड़ती पत्थर', 'नए पत्ते', 'कुकुरमुत्ता' आदि कविताओं में प्रगतिवादी स्वर मुखरित हो उठे थे, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर आदि उल्लेखनीय है।

मूल्यांकन

प्रगतिवाद में हिन्दी कविता प्रगतिशीलता को आत्मसात् कर व्यक्ति केन्द्रित आत्मभिव्यक्ति से निकलकर जनजीवन के सामाजिक यथार्थ से जुडी, छायावादी वेदना निराशा और अवसाद का कोहरा छँटा और युगबोध की चेतना का प्रकाश फैला, धरती के यथार्थ से जुड़कर प्रगतिवादी हिन्दी कविता की भाषा भी अत्यन्त सशक्त रूप में मुखरित हुई, जनजीवन और उससे जुड़े सुख-दुःख की अभिव्यक्ति पहली बार प्रगतिवादी काव्य में सच्चे अर्थों में हुई।

छायावादी खोखले आदर्शवाद और भावुक रुमानी कल्पनाओं के मायावी आवरण को हटाकर प्रगतिवाद ने जीवन और समाज के प्रति एक यथार्थवादी दृष्टि विकसित की, शोषण और अन्याय के प्रति विद्रोह की चेतना जगाई, साथ ही मनुष्य को उसकी अस्मिता और शक्ति-सामर्थ्य से परिचित कराया, अतः अनेक सीमाओं के बावजूद आधुनिक हिन्दी कविता में प्रगतिवादी काव्य की अपनी पृथक् पहचान और महत्त्व बना हुआ है।

केदारनाथ अग्रवाल

प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल सच्चे अर्थों में जनवादी कवि हैं, केदार की राजनीति सम्बन्धी कविताओं की अपेक्षा प्रकृति प्रेम और समाज सम्बन्धी कविताएँ अधिक प्रभावशाली हैं, 'कहें केदार खरी-खरी', 'फूल नहीं रंग बोलते हैं', 'हे मेरी तुम', 'गुलमेंहदी', 'आत्मगंध-केदार के उल्लेखनीय कविता संग्रह हैं।

नागार्जुन

विचारों से किसी भी वाद से मुक्त नागार्जुन शुद्ध जनवादी कवि हैं, राजनीति केन्द्रित उनकी कविताएँ 'सपाट, ऊबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टर कविता' है, किन्तु उन्होंने दीर्घजीवी कविताएँ भी लिखी हैं, 'बादल को घिरते देखा है', 'रवीन्द्र', 'पाषाणी', 'सिन्दूर तिलकित भाल', 'तुम्हारी दन्तुरित मुस्कान'- नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रगतिवादी कविताएँ कही जा सकती है।

शिवमंगल सिंह 'सुमन'

'सुमन' की प्रगतिशील कविताएँ दो तरह की हैं – गीतपरक छोटी कविताएँ और उद्बोधनपरक लम्बी कविताएँ, इनमें गतिपरक कविताएँ अधिक प्रभावशाली और काव्यत्व की दृष्टि से भी अच्छी हैं, 'हिल्लोल', 'जीवनगान', 'प्रलय सृजन' 'सुमन' उनके प्रगतिवादी कविता संकल्पना है।

त्रिलोचन

इनकी कविताओं में किसानी जीवन और परिवेश नाना रूपों और किया व्यापारों के साथ चित्रित हुआ है, वे धरती की सोंधी गन्ध के कवि हैं, इसीलिए उनकी काव्य भाषा में भी गाँव की सादगी है, 'मिट्टी की बारात' त्रिलोचन का उल्लेखनीय कविता संग्रह है।

प्रयोगवाद और नई कविता

प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ। साम्यवादी दर्शन की कट्टरता, सामाजिक यथार्थवाद की अतिव्याप्ति और सामूहिकता के कारण प्रगतिवादी कविता में एकरसता आ गई थी, वैयक्तिक अनुभूतियों के लिए वहाँ कोई अवकाश नहीं था, फलतः वैयक्तिकता का मूल आधार लेकर प्रयोगवादी कविता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रयोगवादी कविता का आरम्भ सन् 1943 ई. में अज्ञेय द्वारा सम्पादित 'तारसप्तक' से होता है जिसमें सात कवियों (मुक्तिबोध, नेमिचन्द जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय) की कविताएँ भाव-बोध तथा काव्य शिल्प की दृष्टि से नये-नये प्रयोगों की कविताएँ थीं, ये सातों कवि अज्ञेय के शब्दों में किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं, 'तारसप्तक' के कवियों ने 'प्रयोगशील' या 'प्रयोग' शब्द का उल्लेख किया है, 'प्रयोगवाद' का नहीं।

अज्ञेय ने कहा है – ''हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है, जितना हमें 'कवितावादी कहना, ……. प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे, वह इस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है अर्थात् प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक तरह जान सकता है, वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है।''

नई कविता

सन् 1951 में 'दूसरा सप्तक' के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता 'नई कविता' में रूपान्तरित हो जाती है, 'नई कविता' नाम भी अज्ञेय का ही दिया हुआ है, सन् 1954 में जगदीश गुप्त के सम्पादन में निकलने वाली पत्रिका 'नई कविता' से इसे व्यापक जनाधार मिला, दूसरा सप्तक में प्रकाशित भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की कविताएँ नई कविता की प्रतिनिधि कविताएँ सिद्ध हुई, ये कवि प्रयोगवादी भी हैं और नई कविता के कवि भी।

डा॰ बच्चन सिंह प्रयोगवाद और नई कविता के अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं – ''वास्तव में नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अति छोरों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिन्दु पर होती है, यह बिन्दु मध्य बिन्दु के इधर भी हो सकता है, उधर भी।''

नई कविता की पहली प्रवृत्ति है ''वाद से मुक्ति, न वह पूरे तौर पर प्रयोगवादी है और न प्रगतिवादी, आस्था-आशा, संकल्प-उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अनिश्चितता, शंका, संदेह आदि के स्वरों की अनुगूँज इसकी दूसरी विशेषता है, संवेदनात्मक वैचारिकता को सभी नये कवियों ने स्वीकार किया है, कहीं परिवर्तनमान परम्परा की स्वीकृति है तो कहीं अस्वीकृति, कहीं कोरी वैयक्तिकता है तो कहीं व्यक्ति और समाज की टकराहट।''

लोक-सम्पृक्ति नई कविता की ऐसी विशिष्टता है जिसकी प्रायः उपेक्षा हुई है, लोक जीवन से नई कविता का लगाव प्रगतिवादी कविता की तरह सैद्धान्तिक रूप में नहीं, बल्कि सहज रूप में है, ''नई कविता ने लोकजीवन की अनुभूति, सौन्दर्य-बोध, प्रकृति और उसके प्रश्नों को एक सहज और उदार मानवीय भूमि

पर ग्रहण किया, साथ ही लोक-जीवन के बिम्बों, प्रतीकों, शब्दों और उपमानों को लोक-जीवन के बीच से चुनकर अपने आपको अत्यधिक संवेदनापूर्ण बनाया।''

'तीसरा सप्तक' सन् 1959 में प्रकाशित हो चुका था, इससे पूर्व नकेन (नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता) ने 'प्रपद्यवाद' काव्यान्दोलन की शुरूआत की, नकेनवादियों ने प्रयोगवादी कवियों पर कई आरोप लगाए, किन्तु उन्हें अधिक गम्भीरता से नहीं लिया गया, सन् 1960 के बाद तो नई कविता में काव्यान्दोलनों की बाढ़-सी आ गई,

सन् 1960 की हिन्दी कविता को 'साठोत्तरी कविता' भी कहा गया, डा॰. जगदीश गुप्त ने 'किसिम किसिम की कविता' शीर्षक से अनेक कविता आन्दोलनों का विवरण दिया है, इनमें अकविता, सनातन-सर्वोदयी कविता, अस्वीकृत कविता, विद्रोही कविता, गलत कविता, नूतन कविता, एण्टी कविता, नंगी कविता, शुद्ध कविता, गीत कविता, टटकी कविता, नव प्रगतिवादी कविता आदि उल्लेखनीय है, इनका कोई विशेष महत्त्व कभी नहीं रहा।

प्रमुख कवि	काव्य रचनाएँ
अज्ञेय	हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, इन्द्र धनुष रौंदे हुए, इत्यलम्, आँगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार
मुक्तिबोध	चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी-भूरी खाक धूलि,
रघुवीर सहाय	सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हँसो-हँसो जल्दी हँसो, लोग भूल गए हैं,
शमशेर बहादुर सिंह	कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, बात बोलेगी, काल तुझसे होड है मेरी
भवानी प्रसाद मिश्र	गीत फरोश, सतपुडा के जंगल, टूटने का सुख

नरेश मेहता वनपाखी सुनो, बोलने दो चीङ को, मेरा समर्पित एकान्त

धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया

कुँवर नारायण चक्रव्यूह, आत्मजयी

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द,

खूँटियों

पर टँगे लोग

केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक

प्रयोगवाद की काव्य प्रवृत्तियाँ –

घोर वैयक्तिकता या आत्मनिष्ठा

अतिबौद्धिकता

प्राचीन परम्परा व रूढ़ियों के प्रति विद्रोह

दमित कुंठा की अभिव्यक्ति

धर्म-ईश्वर के प्रति अनास्था

व्यंग्य

पीङा बोध

अदम्य जिजीविषा

प्रकृति सौन्दर्य की नवीन दृष्टि

बिम्बात्मक व प्रतीकात्मक काव्य भाषा

नई कविता की काव्य प्रवृत्तियाँ

जीवन के प्रति गहरी आस्था

यथार्थ की संवदेनात्मक अभिव्यक्ति

लघु मानव की प्रतिष्ठा

लोक जीवन से सम्पृक्ति

बौद्धिकता

विद्रोही चेतना

ईश्वर में अनास्था

लम्बी कविताओं की प्रवृत्ति

लाक्षणिक काव्यभाषा

भाषा में रूपगत स्वच्छन्दता

समकालीन कविता

समकालीन कविता वस्तुतः नई कविता के आगे की कविता है जो 'अनुभूति की प्रामाणिकता' और 'भोगा हुआ यथार्थ' को रचना का प्रमाण मानती है, साहित्य में समकालीनता को समझने का एक ही उपाय है कि समकालीन मनुष्य को उसके गत्यात्मक जीवन में परखना, उसके साथ तादाम्य करना अथवा उसके साथ होना, उसके मन में उतरना अथवा उसके साथ 'अस्तित्व की एकता' स्थापित करना।

इस दृष्टि से अज्ञेय जैसे कवि समकालीन कवियों में नहीं आते, वे 'समकाल' में अपना स्थान तो रखते हैं, किन्तु समकालीन मानव जीवन के वास्तविक सुख-दुःख, आशा-आकांक्षाओं आदि के प्रति अज्ञेय में वह तलीनता नहीं मिलती जो समकालीन कवियों में मिलती है, नई कहानी की तरह कविता के क्षेत्र में 'नई कविता' का ही आधिपत्य रहा है, यद्यपि नई कविता का उद्भव 'तारसप्तक' के बाद से माना जाता है, किन्तु आज तक की कविता को 'नई कविता' के नाम से जाना जाता है।

इसी दृष्टि से कविता को अपने काल से जोड़ने के लिए 'समकालीन कविता' का नाम दिया गया जो सत्तर के दशक के बाद की कविताओं के लिए था, किन्तु यह नाम भी बहुत चला नहीं।